SHRI B. R. BHAGAT : Even if the Kerala Government had asked for the import of rice through their own agency, it may have been considered and rejected. The Government had the right to do that. My point is, whether other States should have any such thing is a question which can be considered and either accepted or rejected. That is a different matter. Over a matter like this, such things cannot be precluded but what I am saying is this. At the moment this calling attention motion has arisen as a result of the Mysore Government coming up for foreign exchange amounting to about Rs. 3000. That matter is also under examination. Nothing has happened ; it is under examination in the Finance Ministry.

SHRI BANKA BEHARY DAS : Stop it here and now.

SHRI B. R. BHAGAT : As for the future arrangement, some hon. Member said whether it would not continue for four years. We ourselves are looking into this in all its aspects. Recently our High Commissioner said that the question whether it is necessary to continue such a thing in the future or not should be examined but he visualised the position that for the next two or three years the continuance of this arrangement is necessary because you will have to have some other officer or some other co-ordinating agency on which you will have to incur the same expenditure and therefore it is better to continue this. Therefore I submit to the House all these questions, the question of continuance, the constitutional question—the hon. Member may have a different opinion about it though I have no doubts about it—and all other questions can be considered. At the moment the only issue is whether this foreign exchange should be given or not for the new officer and that as I said is under examination.

(Interruptions)

SHRI BHUPESH GUPTA : Madam, we have a summission to make. You know very well as lawyer and as Deputy Chairman of the House that the Constitution provides that the President may delegate. It means that the President has discretion. We should like to know when the President exercised his discretion.

(Interruptions)

THE DEPUTY CHAIRMAN : I think we have had enough.

The House stands adjourned till 3.00 P.M.

The House then adjourned for lunch at forty-eight minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at three of the Clock. The Vice-Chairman (Shri Akbar Ali Khan) in the Chair.

THE BORDER SECURITY FORCE BILL, 1968—Continutd

SHRI DAHYABHAI V. PATEL (Gujarat) : Mr. Vice-Chairman, I have great pleasure in supporting the measure that the Government has thought it fit to bring forward. Perhaps it is a little belated, something like trying to bolt the stable after the horse has left. This measure was introduced after the Pakistani aggression en Kutch in 1965. That exposed, for the first time, the weaknesses and vulnerability of our defences, which state of affairs took place during the period of the Krishna Me-non regime that dominated the Government of India. Instead of a proper coordinated defence or instead of the Defence Forces looking after the forward areas, we had a sort of police force which was neither police nor defence. It was neither a horse nor a donkey. It was neither fish nor fowl. So, the result was rather unsa-tisfactory. Therefore, Pakistan or the Chinese aggressors were able to intrude into our borders. The difference was this. While the intruders were well-trained and some of them received training in China in the well-known tactics of guerilla warfare, infiltration, deception and of subversion, which are the normal communist tactics and which they have followed in most of the countries that they have taken over, we shut our eyes to these facts of history and that is why we came to this position. It was in this House that I had to point out that the Government of Gujarat was repeatedly drawing the attention of the Government to this situation. A representative of the Government of Gujarat could not get a seat on the plane to Delhi and he had to go up to Jaipur and persuade another officer to make room for him. He was able to reach Delhi and when he reached Delhi senior Army officers told him : "We have got only fifteen minutes and we are going away after that." One had to preside over some celebrations. One had a football engagement to preside

[Shri Dahyabhai V. Patel]

over and this was the sort of engagements when the defences of the country were at stake. This is what happened to our defences during the Krishna Menon regime. This measure was brought forward under the regime of the late Lai Bahadur Shastri and, therefore, it received, more or less, the unanimous and maspive support in the other House, except for two dissenting voices. You can well understand whose the dissenting voices were and what their role would be when our border is infiltrated. The other day we saw which way things were going, and it is a sad blot that infiltration is very much deeper in our country, if not in the Party opposite.

The Border Security Force have a very arduous duty. They do not get the benefits that the Army Officers get. They have to perform a much more difficult task than the police and they do not get the benefits of either. They are deprived of family life. They are deprived of the opportunity of being stationed in permanent quarters. They are shifted from one place of the border to another. I am not complaining. It is part of their job that they have to move and they have to patrol such a large border, particularly when we have such neighbours. Unfortunately we have not been able to cultivate proper relations with them. Unfortunately we have not been able to educate our neighbours to believe that We have no aggressive designs, that we have only peaceful designs and yet we have suffered repeatedly, again and again.

The Border Security Force, which is neither police nor army, suffers from a great disability. I have great sympathy for the men working in this Force and I would urge upon the Government to recognise this. Mr. Ghavan has been in the Defence Ministry. He is also the Home Minister and I am sure he has also great sympathy for these men who have to give of their best under such trying circumstances for the country. I hope he will see that the work that they do is not only recognised, but much more than that, the Border Security Force must be given a proper place. If for certain reasons, political, tactical or whatever you want to call it, we do not want to call them a division of our Army, they are certainly part of our Defence Forces. They are certainly defending our borders under the most difficult and trying conditions. If for any political and other reasons you do not classify them as Defence Forces, there is no reason why they should be denied the benefits which they would be entitled to if they were in the Defence Forces. I would like the Defence Minister to look at it from the point of view of the men. They have no permanent li ving quarters. What happens to their families ? What happens to the edu cation of their children ? That is a problem which occurs everywhere. I am sure he does not want that they also should from unions and threaten to go on strike, if not go on strike like everybody else. Then, of course, Mr. Bhupesh Gupta will be their leader again, though he may not be as much in support of the measure as I am today or many other people in this House will be. Once it becomes a question of forming a union and striking, I am sure all these people will be there in front of them. Therefore, I would appeal to the Defence Minister to look at it from this point of view. We are having so many strikes since the last few months . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : You are referring to the Home Minister and not the Defence Minister, when you said : "I appeal to the Defence Minister."

SHRI DAHYABHAI V. PATEL : I appeal to both, because the Border Security Force, as I told you in the beginning, is neither here nor there. It is neither police, nor army. If the Defence Minister is not willing to father the baby, the Home Minister might. Mr. Chavan has been in both. That is what I said. Mr. Chavan has been in charge of both. I know that he has great sympathy for these men who work under trying circumstances and, therefore, I appeal to him to do what is possible to compensate these men for the difficult task that they perform. It is only a contented force that does good work. The Indian Army and the police also work in the most trying circumstances. They always perform their duties faithfully. So far, disruptive elements have not been able to infiltrate so much into them, though, of course, I know a few months ago there was nearly a police strike, practically a complete strike in Delhi a couple of years ago. But it had not gone farther than that and I hope it will not. It will be a sad day for this country when such a thing happens.

There is another very important function that this Force performs. They have checked the activities of smugglers considerably. They have been responsible

for not only preventing but for seizing a lot of contraband articles that somehow come into this country. We have a very large border, a land border, and it is very easy to get things through that. We have had numerous questions in this House on how things come in from Nepal, how things come in from elsewhere. In peace time they do this valuable work of trying to prevent smuggling and loss of revenue to the exchequer. I am glad that their promptness and their vigilance lead to a lot of confiscation of these goods which also pays a part of the expenses of maintaining this force.

I commend this measure and I hope the whole House will support it.

SHRI R. T. PARTHASARATHY (Madras) : Mr. Vice-Chairman, I rise to support the Border Security Force Bill and I am very happy to support it particularly after the genuine support that has been given to it by no less a person than the Leader of the opposition in this House. At the outset I would congratulate the Home Minister, Mr. Ghavan, for bringing this Bill which is a well-timed one and which partakes the characteristics of a nation-saving measure, that will ensure the safety and security of our national borders. Never before such a Bill became so necessary as at present when the nation is in a tight corner fighting its way to preserve its hard-won Swaraj.

The Home Minister in his brief speech has explained the objectives of the Bill and the motive for its introduction. I feel, Sir, that no patriotic Indian should oppose it for it is everybody's concern to see that nothing wrong happens in the long frontiers of this country, especially as in the north, north-west and in the east our borders are subjected to perpetual threat and danger from belligerent countries like Pakistan and China. I anticipate criticisms of this Bill particularly from my esteemed friend and doyen of this Parliament, Mr. Bhupesh Gupta, who is going to point his finger at clauses 13 and 14 of this Bill, and probably he might be even prepared to characterise this Bill as a black Bill. Sir, criticisms may be levelled against this Bill as one that would point towards the direction of violating the basic fundamental rights of the citizen and casting totalitarian powers upon the Government and also depriving the citizens of this country of their elementary rights. But I would answer them that in the Armed Forces and in the Security Forces and in the Security Police Force, which is an essential service, the basic fundamental right of the citizen cannot be granted for the simple reason that the ultimate aim of defending the frontiers of India would be totally annihilated. If my friends of the opposition would be prepared to characterise this as a black Bill, I am ready with my answer. It is these black people who ultimately attempt to undermine the defences of our country, who are prepared to subvert the interests of our country in favour of the foreign invader, and who ultimately import something from far-off foreign lands and furnish them with knowledge with reference to the defences of our Motherland. It is these black people who should ultimately be eliminated from the sphere of influence, and here I would congratulate the Home Minister that the Bill that is before the House very much answers the call of the nation in that it will ultimately root them out from the whole country. Even if it should be that greater powers should be given to the Central Government in this respect, it should be welcomed by the entire nation throughout the length and breadth of this country.

Mr. Vice-Chairman, clauses 13 and 14 ultimately remind us that no political or trade union right in the Armed Services or Defence Services or Security Forces will be recognised, and if anyone is said to have had a share in any of these activities, he will not even receive admission into the Border Security Force. There is only one right that is recognised, and that is the right to command and the duty to obey. If this is not to be followed, I am sure no citizen of India will ever gain entry into the Security Forces of this country. This is the most vital factor that should be the guiding principle in not only constituting the Border Security Force but also in running the Force in the proper manner.

Mr. Vice-Chairman, the Border Security Force is a paramilitary force between the Armed Forces and the Police Forces of the country, which has a function and a sole aim of guarding our border. The high discipline that is expected of them as per the clauses of the Bill is fundamental in character with reference to the recruitment and with reference to the discharge of their duties. That is why the punishment clause, that is, clause 17, of this Bill is rather too harsh. I welcome it because if in this Border Security Force Bill you are not going to have that kind of penal clause, I am afraid that the entire purpose of this Bill will be totally defeated. That is why

[Shri R. T. Par.hasarathy]

I say that even if it be construed by a certain section of the opposition that it is virtually conferring upon the authorities the powers of court martial implied in this, I would say that even if it be so, I would welcome it and the House should welcome it. I have had occasion to peruse the pages of history with reference to Britain, France and Germany during the First World war as well as the Second World War, and I had occasion to see that in those countries what we call today as the Border Security Force very much existed, and even they had certain laws passed by their respective Parliaments, and those laws were more stringent than the one that the Home Minister has brought forward before this House. Even the penal sections in those laws have been much too harsh in those countries. I would even go to the extent of saying that the Home Minister has been slightly lenient in certain clauses of this Bill as compared with those laws in existence in Germany, France and Britain.

Sir, it might be argued that those persons who have been punished have not got the proper method of or right of appeal. In the Armed Forces one cannot expect the right of appeal to three or four courts as it exists for an ordinary citizen in civil life. The Government have provided the various trial courts, the General Security Force Court, the Petty Security Force Court, and even the appellate authority will be ultimately the Government. In such matters where discipline forms the foundation of the Security Force, I am confident that the highest officer or the highest personality who is going to sit in judgment disposing of the appeals of those aggrieved jawans or members of the Security Force will certainly do justice by them. Otherwise our Armed Services and Security Forces will break up.

I would only add one more word, Sir, and that is I would express my gratitude to Mr. Chavan for bringing this Bill which I described earlier as not only timely but as a nation-saving measure. But this Bill very much looks un-Chavanlike, if I might call it so. You may ask me why I should say so. Mr. Chavan is noted for this outward congenial way of speaking, soft approach and conciliatory approach generally towards the opposition. But at the same time he is known for his hardness in his orders. That is why I said earlier that this Bill which Mr. Chavan has brought from top to bottom looks very hard in aim, in conclusions and as well as in everything. That is why I say this Bill is a gift. I am prepared to take it as Mr. Chavan's gift to the nation because it is here that the nation will receive a Bill as a gift by which the security forces will be made to be ever vigilant, ever disciplined and ever watchful of their duty for the nation in the nation's true interests, fully deserving and defending our hard-won Swaraj. I commend the Bill, Sir, for the acceptance of this House.

SHRI BRAHMANAND PANDA (Orissa) : Mr. Parthasarathy, then shall we call it "Mr. Chavan Bill"?

(Interruptions)

श्री निरंजन वर्मा (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी सदन के सामने जो बिल आया है उसको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक भाग तो यह है कि इसका आशय कैसा है और दूसरा यह है कि मूल भाव जो बिल में आया है उसकी भाषा और जिस अंश तक आशय जा सकता है वहां तक जाने में वह सफल हुआ या नहीं।

पहले भाग का जहां तक आशय का प्रश्न है, इसमें संदेह नहीं कि चीन की लड़ाई और पाकिस्तान की लड़ाई ने हिन्दुस्तान की सरकार की आंख खोल दी है। इससे पहले हिन्दुस्तान की सरकार स्वप्न लोक में घूमा करती थी। अगर कहीं मौका आया तो वह सत्य और अहिंसा के हथियार से संसार से लड़ने की स्थिति में थी। लेकिन जब से ये दो प्रकार के हमले हुए, तब से सरकार को यह समझने का मौका मिला है कि हम जमीन पर खड़े हैं। इसके पहले अपने देश के हर एक प्रान्त में अलग अलग पुलिस थी और पुलिस के द्वारा वहां पर कार्यवाही की जाती थी। हमने यह भी देखा कि जब चीन का हमला हुआ तो उस समय हमारी पुलिस और सेना अभाव की स्थिति में थी। श्री करमसिंह हमारा एक व्यक्ति था जो 15 आदमियों के साथ चीनी फौज द्वारा पकड़ लिया गया था और इस प्रकार से हिन्दुस्तान के लोगों की बेइज्जती हुई थी। उस समय लोगों में ऐसी

भावना का होना स्वाभाविक था। अतः इन लोगों के लिए एक प्रकार के नियम बन जाते तो निश्चित रूप से वे नियम बहुत अच्छे होते।

इस पहले भाग के अन्तर्गत जितने हमारे सीमा प्रान्त हैं, उन सब प्रान्तों के लिए एक ही प्रकार की पुलिस होनी चाहिये और एक ही प्रकार की पुलिस होने के साथ साथ उनके कार्यों में भी एकरूपता आनी चाहिये। इसमें हमारी समझ में यह बात नहीं आई कि जब आक्रमण होता है, जब देश पर आक्रमण होता है तो उस समय सेना नहीं जाती है। इस आक्रमण का मुकाबला करने के लिए पहले इन पुलिस अधिकारियों को ही जाना पड़ता है। ये पुलिस अधिकारी जो अपने घरों से बाहर पड़े हुए हैं, बर्फ की चट्टानों में जिन्हें चलना पड़ता है, तो सेना के लोगों के साथ उनको बराबरी के दर्जे में रखना चाहिये और उनके साथ कोई भेदभाव का बरताव नहीं किया जाना चाहिये। हम समझते हैं कि उनके साथ किसी तरह का भेदभाव करना ठीक नहीं होगा और उनको भी एक अच्छी स्थिति में रखा जाना चाहिये। इस संबंध में मैं अपने योग्य मित्र श्री चौहान साहब के सामने कुछ सुझाव रखना चाहता हूं।

पहली बात यह है कि अगर इन पुलिस कर्मचारियों को 3.3 की बन्दूक दी जाती है, तो इस प्रकार के हथियार से वे हमारी सीमाओं की अच्छी तरह से रक्षा नहीं कर सकेंगे। पहली चीज़ यह है कि उनके पास भी वही हथियार होने चाहिये जो हथियार सेना के पास होते हैं। इसी प्रकार जब कभी उन्हें आवश्यकता पड़ जाय तो उसके लिए उनके पास हैलीकोप्टर भी होने चाहिये। जिस तरह से सेना के पास हैलीकोप्टर होते हैं उसी तरह से उन्हें भी अपना काम अच्छी तरह से करने के लिए हैलीकोप्टर दिये जाने चाहिये ताकि वे समय पड़ने पर उसका उपयोग कर सकें।

जिस प्रकार से सैनिक रहते हैं और उनको राशनिंग के लिए 90 रुपया मिलता है; उसी प्रकार से इन्हें भी मिलना चाहिये। अभी इन्हें केवल 48 रुपया ही मिलता है। इस तरह का भेदभाव करना मैं उचित नहीं समझता हूं। उन्हें भी सेना की तरह एलाउन्स मिलना चाहिये। जिस तरह का राशन सेना को मिलता है उसी तरह का उन्हें भी दिया जाना चाहिये।

इसके पश्चात् मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं और वह मेडिकल सुविधा के बारे में है। इन लोगों को भी मेडिकल की अच्छी सुविधा मिलनी चाहिये क्योंकि पुलिस के अधिकारी और सिपाही वो ही काम करते हैं जो सेना के अधिकारी और कर्मचारी करते है। अगर उन्हें इस प्रकार की सुविधा नहीं मिलती है तो यह अच्छी बात नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि उन्हें भी मेडिकल की सुविधा मिलनी चाहिये।

एक बात और भी है और वह यह है कि इन लोगों को जो हथियार मिलते हैं वे आर्मी डिपार्टमेंट द्वारा दिये जाते हैं। आर्मी डिपार्टमेंट द्वारा जो हथियार इन्हें इस समय दिये जाते हैं उसमें भेदभाव करने की आशंका रहती है। इसलिए उन्हें जो हथियार दिये जायं, जो शस्त्र-अस्त्र दिये जायं, वे दूसरी एजेन्सी द्वारा दिये जाने चाहिये। उन्हें इस बात का मौका कहने का नहीं दिया जाना चाहिये कि जो हथियार उन्हें दिये जा रहे हैं वे सेकेन्ड रेट के हैं।

इस बिल को प्रारम्भ से लेकर अंत तक पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो बिल फ्रेम किया गया है उससे ऐसा मालूम पड़ता है कि इस में इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इविडेंस एक्ट, इन तीनों को संकलित किया गया है, लेकिन तीनों की अच्छाइयों को छोड़ दिया गया है। उदाहरण के लिए मैं सदन के सामने यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें

[श्री निरंजन वर्मा]

सेक्शन 2 के "जी" में "क्रिमिनल कोर्ट" के बारे में उल्लेख है। इसमें यह दिया हुआ है: 'criminal court' means a court of ordinary criminal justice in any part of India. हम समझते हैं कि हमारे योग्य मंत्रालय ने आर्डनरी क्रिमिनल आफ जस्टिस का जो उल्लेख किया है उसका सम्भवत: मतलब जुरिसडिक्शन से होगा क्योंकि जस्टिस से कोई तात्पर्य नहीं निकलता है। इसी तरह से "जे" में जो "ऐनिमी" की परिभाषा दी गई है, वह हंसाने वाली है। ऐनिमी कौन है? ऐनिमी की परिभाषा देखिये।

> "Enemy^—"Enemy" includes all armed mutineers, armed rebels, armed rioters, pirates and any person in arms against whom it is the duty of any person subject to this Act to take action.

यानी जो हमारा मुकाबला करे, बगावत करे, इन लोगों को सजा मिलनी चाहिये। इस तरह से इन्हीं लोगों को इसमें सम्मिलित किया गया है। लेकिन ऐनिमी कौन है, उसको डिफाइन करने की आवश्यकता थी और इस ओर मंत्रालय ने ध्यान नहीं दिया है।

अब इसके पश्चात् सेक्शन दो के सब-क्लाज दो को देखिये। जब हम किसी कानून को किसी संग्रह में लाते हैं तो उसको फ्रेम करने में बड़ा अन्तर पड़ जाता है। तो देखना यह चाहिये कि इस तरह का कोई अन्तर न पड़ने पाये और जो कानून का आशय है वही आशय अदालत निकाले और दूसरा किसी तरह का आशय न निकाले। इसमें यह लिखा है :—

> "Section 2(2).—In this Act, references to any law not in force in the State of Jammu and Kashmir shall be construed as references to the corresponding law in force in that State."

मैं सरकार का ध्यान करसपोंडिंग लॉ की तरफ दिलाना चाहता हूं कि वह बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में होना चाहिये। इस तरह के शब्द लिखने से क्या मतलब निकलता है? इस प्रकार की जो वेग चीज हैं उसकी कानून में गुंजायश नहीं होती है। इसी प्रकार आगे और भी है। जितने भी हमारे कानूनों को समझने वाले मित्र हैं, हमारे चौहान साहब वकील रहे हैं, मैं उनके सामने यह बात रखना चाहता हूं और उनसे उत्तर चाहता हूं।

चैप्टर 3 में यह दिया हुआ है :—

> "Chapter III.—Any person subject to this Act who commits any of the following offences, that is to say,—
>
> (a) shamefully abandons.. .

अब अदालत में मामला गया तो वहां क्या होता है? "शेमफुली एबनडन्स" का क्या मतलब निकलता है? शेमफुली का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए शेमफुली को डिफाइन करना चाहिये था कि शेमफुली किसे कहते हैं। जो खाली एबेंडन्स करे और वह शेमफुली न हो तो उसका क्या होगा? वह कानून की गिरफ्त में नहीं आयेगा। तो इस तरह के तीन शब्द हैं जिनकी कोई डैफिनिशन नहीं है। इसमें एक शेमफुली है, दूसरा इल ट्रीटमेंट और तीसरा ट्रेचरसली है। इस ट्रीटमेंट का स्थान-स्थान पर प्रयोग किया गया है, इसलिए इसकी परिभाषा देना आवश्यक था। इसी तरह से ट्रेचरसली का भी किसी न किसी जगह प्रयोग किया गया है और उसको भी डिफाइन किया जाना चाहिये था। अगर डेफिनिशन नहीं हो सकती है तो उसके लिए एक्सप्लेनेशन दिया जाना चाहिये।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AK-BAR ALI KHAN) : You are also a lawyer, I understand. It is very difficult to define these things. There is a greater possibility of letting off if you define it.

श्री निरंजन वर्मा : हम वकीलों का कर्त्तव्य यह है कि जहां सरकार असफल होती है वहा हम अपने मुवक्किलों को छुड़ा देते हैं। अगर श्री चौहान साहब गलती करेंगे तो ह

छुड़ायेंगे । जब सरकार कोई कानून बनाते वक्त गलती करती है तो यह वकीलों का कर्त्तव्य हो जाता है कि उसकी ओर ध्यान आकर्षित करवाये ताकि किसी को मौका नहीं मिलना चाहिये, अभियुक्त को मौका नहीं मिलना चाहिये कि वह छूट जाय ।

इसमें एक बात और भी है। जब मैं इस बिल को पढ़ रहा था तो मुझ को बहुत आनन्द आया और आनन्द इस लिये आया कि हमारे चव्हाण साहब कभी कभी बहुत जोरों के साथ भाषण देते हैं और जब वे भावना में आ जाते हैं तो वे गांधी जी का नाम लेते हैं, सत्य और अहिंसा की बात करते हैं और फिर कहते हैं कि सरकार यही कर रही है। मैंने सोचा कि बात क्या हो गई कि इस बिल में हमारे चव्हाण साहब ने सत्य और अहिंसा छोड़ दी और ऐसी कड़ी कड़ी सजा रखी कि मृत्यु दंड, 14 वर्ष की सजा। मैंने सोचा कि भारत सरकार पर बहुत जोरों का दबाव पड़ा है चीन और पाकिस्तान के हमले के जरिये; और इस लिये अब उसमें दृढ़ता के साथ शासन चलाने की क्षमता आ गई है। धारा 17 में उन्होंने इस प्रकार के अधिकार दे दिये और उसके बाद आगे चल कर के जितने अधिकार उन्होंने दिये थे वे सबके सब वापस ले लिये । जो धारा 17 में उन्होंने शक्तियां उनको दीं वे धारा 49 में सब की सब वापस ले ली गईं। एक ओर मृत्यु दंड, 14 वर्ष और 10 वर्ष की सजा का विधान रखा गया है और दूसरी ओर वे चाहें तो क्षमा भी कर सकते हैं और चाहें तो कम भी कर सकते हैं। इस तरह से जिस ताकत के साथ उनको अपना प्रशासन और शासन चलाना चाहिये उसके अनुसार वे नहीं चला सकेंगे।

(*Time bell rings.*)

मैं एक दो मिनट और लूंगा।

وائس چیرمین (شری اکبر علی خان) : آپ کی پارٹی کے ایک صاحب اور ھیں - ان کو ٹائم نہیں ملے گا کیوں کہ آپ کافی ٹائم لے چکے ھیں -

†[**उपसभाध्यक्ष (श्री अकबर अली खान) :** आप की पार्टी के एक साहब और हैं। इन को टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि आप काफी टाइम ले चुके हैं।]

SHRI PITAMBER DAS : Why should you rob Peter to pay Paul ?

THE VICE CHAIRMAN (SHRI AK-BAR ALI KHAN): That is the time fixed for each party according to its strength.

श्री निरंजन वर्मा : इसमें धारा 33 में यह दिया है :

> "Any person subject to this Act who commits any of the following offences,"

destroys any property etc.. ."

यह सब है। इसमें अब डेस्ट्राय तो नहीं कर सकता है, इंजर तो नहीं कर सकता है किंतु अगर प्रापर्टी को कोई ट्रांस्फर करे तो उसका क्या किया जा सकता है? हमारे शासन ने इस कानून में इसके लिये बिल्कुल खुली छूट दे रखी है। कोई आदमी इस प्रकार के हथियारों को या अन्य किसी सामग्री को ट्रांस्फर कर सकता है, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। अत: इसके लिये भी इसमें व्यवस्था होनी चाहिये ।

इसी तरह से धारा 34 में सब प्रकार के अपराध दंडनीय हैं, लेकिन अगर कोई र्‍यूमर (अफवाह) फैलाये तो इसके सम्बन्ध में इसमें कोई उल्लेख नहीं है।

इसके पश्चात् एक विचित्र बात इस कानून में है और वह विचित्र बात यह है कि सेंटेंस देने के बाद मामूली जितने भी क्रिमिनल केसेज होते हैं या दूसरे प्रकार के अपराध होते हैं उनमें सजा भुगताई जाती है, कन्फर्मेशन की कहीं आवश्यकता नहीं पड़ती। केवल मृत्यु दंड के लिये कन्फर्मेशन का विधान है, बाकी औरों के लिये नहीं है। लेकिन इसमें कन्फर्मेशन के लिये रखा गया है कि

†[ ]Hindi transliteration.

[श्री निरंजन वर्मा]

जब तक कन्फर्मेशन नहीं हो जायगा तब तक कोई दंड नहीं दिया जायगा।

इस प्रकार जो बहुत से लेक्युनोज इस विधेयक में हैं। मैं आशा करूंगा कि हमारे चव्हाण साहब विधि मंत्रालय से परामर्श करके उनको दूर करने का कष्ट करेंगे। यही मेरा निवेदन है।

पंडित भवानी प्रसाद तिवारी (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस समय सुरक्षा विधेयक का समर्थन करने खड़ा हुआ हूं। जो हमारा देश है वह विशाल देश है। इसकी सीमा लम्बी है और अनेक राष्ट्रों से घिरी हुई है। यह प्रश्न जिस दिन से हम स्वतंत्र हुये उसी दिन से खड़ा हो गया कि हमें अपनी सीमा की सुरक्षा करनी चाहिये। कुछ दिनों तक यह स्थिति थी कि हमारी सीमा पहले अभेद्य मानी जाती थी। हम सोचते थे कि उत्तर में हिमालय है और हम गाते थे कि वह हमारा संतरी है, वह हमारा पासबां है। मगर जब हमारी आजादी आई और हमारी सीमा स्वतंत्र हुई तब विज्ञान के उलटफेर ने स्थिति बदल दी। जो हमारा पासबां या संतरी था और जो हमारी रक्षा किया करता था पहरेदार बन कर उसकी स्थिति मिट गई। आवश्यकता इस बात की पड़ी कि उस तमाम सीमा पर सुरक्षा की स्थिति पैदा की जाय। मैं विरोधी दल के नेता की इस बात से सहमत हूं कि यह तो उसी दिन होना चाहिये था जिस दिन हम आजाद हुये थे। इसमें विलम्ब हो गया, परन्तु यह बात सही है जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि अध्ययन टीम ने एक बात बताई और कुछ हमारे अनुभवों ने हम को सिखाया और आज हमारे सामने यह सीमा सुरक्षा बल विधेयक है।

कभी आक्रमण का प्रश्न होता है तो ठीक है फौजे लड़ती हैं। अभी जिन दो आक्रमणों का जिक्र हुआ उनसे हमने अनुभव प्राप्त किया। चीन का आक्रमण था, फौजी चुनौती थी, हमारे सैनिक लड़े और उनकी कुरबानी और बलिदान ने चीन को पीछे हटाया। जब पाकिस्तान का आक्रमण हुआ तो उस वक्त तक हम काफी सचेत हो गये थे और हमारी फौजों ने, हमारे सैनिकों ने अपनी शक्ति के बल पर पाकिस्तान को पीछे हटाया और इतिहास में हमारी विजय घटित हुई ऐसा अंकित हुआ। परन्तु फौज की चुनौती और उसका सामना एक बात है। आज के युग में लड़ाई की या चुनौती की सारी स्थिति ही बदल गई है। जब भारत पर आक्रमण पाकिस्तान ने किया तो फौजें आमने सामने नहीं थीं। पहले घुसपैठिये भेजे गये और उनके साथ शस्त्रास्त्र भेजा गया। इस लिये मैं यह कह रहा हूं कि युद्ध के समय जब सीमा सुरक्षा का सवाल होता है तो वह और किस्म का होता है और शांति के समय सीमा सुरक्षा का सवाल और किस्म का होता है, परन्तु वह अधिक महत्व-पूर्ण होता है और उसके लिये इस बल का निर्माण किया गया है। "बल" शब्द का प्रयोग या "फोर्स" शब्द का प्रयोग जान-बूझ कर किया गया है। जैसा कि कहा गया कि यह सेना भी है। कुछ लोग यह कह रहे हैं कि न यह सेना है और न यह पुलिस है। मैं कहता हूं कि असल में जो इसका स्वरूप सामने आया है वह सेना का भी है और पुलिस का भी है। इन दोनों कर्त्तव्यों की आवश्यकता सीमा की सुरक्षा के लिये शांति के अवसर पर है।

आज भी यह बात सब लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान रूस से या अन्य देशों से जिस तरह से शस्त्रास्त्र प्राप्त कर रहा है उससे यह प्रगट होता है कि वह तैयारी कर रहा है। अभी अभी हमने इस सदन में और दूसरे सदन में यह निर्णय किया है कि इस समय यह आवश्यकता उत्पन्न हुई है कि आत्मनिर्भरता हमारे देश को प्राप्त हो और

इसके लिये हम प्रयत्न करें। मैं कहना यह चाहता हूं कि आत्मनिर्भरता की दृष्टि से भी यह विधेयक बहुत काम का है और आत्म-निर्भरता की दिशा में यह देश को अग्रसर करेगा इसमें कोई सन्देह नहीं है।

दूसरे जो चीन द्वारा साजिशें चलाई जाती हैं और मीज़ों और नागाज़ को बुला कर के उनको ट्रेनिंग दी जाती है उससे कुछ ऐसा लगता है कि कोई ऐसी योजना चल रही है कि पहले गुरिल्ला प्रकार की लड़ाई देश में शुरू हो जाय और बाद में जैसी कि चीन की मंशा साफ है कि जैसा पहले वह आक्रमण कर चुका है, शायद वैसा ही फिर आक्रमण करे। इन चीजों की बचत के लिए भी यह आवश्यक है कि हमेशा कुछ लोग तैनात रहें जो इन चीजों को समझते रहें। इस बिल में इस बात की आवश्यकता प्रतिपादित की गई है—यह तो है ही कि फौज से अलग और पुलिस से अलग यह नया फोर्स है, परन्तु यह स्पष्ट किया गया है, यह दसवें चेप्टर में है—

"(i) for the purpose of prevention of any offence punishable under the Passport (Entry into India) Act, 1920, the Registration of Foreigners Act, 1939, the Central Excises and Salt Act, 1944, the Foreigners Act, 1946, the Foreign Exchange Regulation Act, 1947, the Customs Act, 1962 or the Passports Act, 1967 or of any cognizable offence punishable under any other Central Act ; or

(ii) for the purpose of apprehending any person who has committed any offence referred to in clause (i)"

इस तरह से जो अवैध लोगों का आना जाना है, जो अवैध शस्त्रों का आना-जाना है, जो अवैध सामग्री का आना जाना है, जो हमारे यहां नैतिक अधःपतन पैदा करता है उसकी बचत के लिए, उसकी रक्षा के लिए यह बिधेयक आया है और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह बड़ा उपयोगी विधेयक आया है और उपयुक्त समय पर आया है जब उसके आने की आवश्यकता थी। इसलिए मैं कहता हूं कि जो संशोधन इसमें रखा जा रहा है कि इस पर कोई सेलेक्ट कमेटी बिठा दी जाय और वह विचार करने बैठे तो वह तो इसको विलम्बित करने की बात है। जब यह कहा जाता है कि देर हो ही गई है तो और विलम्बित करने का संशोधन पेश करके उसे आगे बढ़ाना तो जो राय व्यक्त की जा रही है उसके खिलाफ ही यह आयोजन है। इस तरह यह संशोधन उपहासास्पद है कि एक और इसको सही भी मानें कि इसकी आवश्यकता है और दूसरे ओर इसको विल-म्बित करने की भी कोशिश करें।

वैसे तो यह सन 65 में बन गया परन्तु जो अधिकार प्राप्त होने चाहिए, फौज और पुलिस दोनों के मिल कर अधिकार प्राप्त होने चाहिए और अधिकार सम्पन्न यह बल होना चाहिए वह स्थिति असल में 1968 में यह विधेयक पास करने के बाद ही, स्वीकृत करने के बाद ही आएगी।

यह बिलकुल ठीक है कि जो इस बल में सेवा करना स्वीकार करें उनके लिए एक अनुशासन आवश्यक है। यदि अनुशासन भंग करें तो उन्हें दंड देना भी आवश्यक है। जो सीमा पर रहते हैं यदि वे देश-द्रोह का अपराध करें तो उसके लिए जो फांसी की सजा इसमें दी गई है वह सही बात है, ठीक बात है। वे इतने खतरे और जोखिम की जगह पर रखे जा रहे हैं। और वहां रहना वे स्वीकार कर रहे हैं, वहां अनुशासन भंग दंडनीय होना ही चाहिए और इसीलिए इसमें दंड का स्वरूप जरा कड़ा है और वह आवश्यक भी है। इसके अपने न्यायालय—पुलिस और फौज के अतिरिक्त—ऐसे अपराध करने वालों के लिए खोले गए हैं ताकि वे फैसला करें और दंड दें। कुछ चीजें मजिस्ट्रेसी के लिए भी छोड़ी गई है। अगर वे भाग कर कहीं जायं तो भारतवर्ष में जो न्यायालय हैं वे भी कार्य वाही करें, यह प्रावधान भी इसमें रखा

[पंडित भवानी प्रसाद तिवारी]

गया है। इस तरह से एक अनुशासित और शक्तिशाली बल इससे उत्पन्न होगा जो सीमा की सुरक्षा करेगा। मेरा तो निश्चित मत है कि इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद और इस बल को ठीक स्थिति प्राप्त होने के बाद न केवल सीमा की सुरक्षा सम्भव हो सकेगी बल्कि सारे राष्ट्र को एक विश्वास प्राप्त होगा और उसे लगेगा कि हमारे सैनिक या हमारे सिपाही सीमा पर रक्षा के लिए तैनात हैं। यदि यह पहले होता तो हमारे कुछ छोटे छोटे हिस्से जिन पर कि दूसरे राष्ट्रों ने कब्जा कर लिया है क्योंकि वहां हमारे पहरेदार न थे और वह झगड़े के विषय आगे चल कर बन गए वह स्थिति भी इससे पैदा न होती और अब आगे भी नहीं बनेगी। इसलिए मैं फिर कहता हूं कि जब यह स्थिति पैदा हो गई कि हिमालय अब रक्षा करने के योग्य नहीं रहा, उस पर हवाई जहाज ही नहीं, अब तो आदमी भी चढ़ जाते हैं तब जो सीमा सुरक्षा बल बना है यही हिमालय बन कर हमारे राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा करेगा। इतना महत्वपूर्ण मुझे यह विधेयक लगा है और इसलिए मैं इसका समर्थन कर रहा हूं।

श्री बालकृष्ण गुप्त (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी अभी यह कहा गया कि चीन के आक्रमण के बाद यह सिक्योरिटी फोर्स बना, परन्तु यह बात बिलकुल गलत है। यह तो कच्छ में जब पाकिस्तान का आक्रमण हुआ तब बना और चीन और हिन्दुस्तान की सीमा पर अब भी बार्डर सिक्योरिटी फोर्स का कोई जवान तैनात नहीं है। जो 5 हजार मील हमारी पाकिस्तान से—पश्चिमी और पूर्वी दोनों—सीमा है उस पर साठ हजार सिक्योरिटी फोर्स के लोग तैनात हैं। ये न तो पूरे फौजी सिपाही हैं, न पुलिस ही हैं लेकिन इनके ऊपर जो सजाएं और कानून कायदे थोपे जा रहे हैं वे आज के जमाने में, जबकि हम गांधी जी की अहिंसा के हामी हैं, बड़े ही कठिन और कठोर हैं। मृत्यु दंड तक की इसमें व्यवस्था है। एक और व्यवस्था भी है कि यह बार्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसका काम सीमा की सुरक्षा करना होना चाहिए वह आन्तरिक राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वियों को दबाने के काम में भी आ सकती है। यह संशोधन इसमें जरूर होना चाहिए कि आन्तरिक राजनीतिक प्रतिद्वन्द्विता में सरकारी पार्टी इसे इस्तेमाल न कर सके। इस बार्डर सिक्योरिटी फोर्स में साठ हजार आदमी हैं और उनको खाने को फौज से कम राशन मिलता है और उनके राशन पर 48 रुपए महीना खर्च होता है जबकि फौज पर 75 रुपए महीने खर्च होता है। ये लोग जैसलमेर जैसी जगहों और ऐसे-ऐसे रेगिस्तानों में पड़े हुए हैं जहां 20,30, 40 मील तक न दरख्त हैं, न पानी है, न पड़ौसी है। उनकी सहायता के लिए हमें कोई उपाय करना चाहिए। उनकी 120 रुपए महीने के करीब तनख्वाह है और उनके बाल-बच्चे उनसे अलग रहते हैं और उनको साल में एक महीने की छुट्टी मिलती है, यानी 25 बरस तक वह बार्डर सिक्योरिटी फोर्स में काम करता रहा तो वह अपनी बीबी के साथ 25 बरस में केवल दो साल गुजार सका। यह किस तरह की जिन्दगी है, यह किस तरह की व्यवस्था है आजकल के इस आधुनिक जमाने में जब हम अपने को समाजवादी कहते हैं और नीचे के तबके को ऊपर उठाने की बात करते हैं? दंड तो हमने प्राणदंड तक का दे दिया और उनका जीवन इतना गन्दा कर दिया कि लोग पागल हो जाते हैं। दस-बारह की टुकड़ी है, ऊंट लिए हुए हैं। फौज को इतनी गाड़ियां मिली हुई हैं, उनको कुल 1800 गाड़ियां मिली हुई हैं। उनके जवान हमारी क्या रक्षा करेंगे यह तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि फौज के बड़े बड़े महायोद्धा भी जब चीन ने अपनी आखें हमारी तरफ कीं तो तेजपुर तक भाग आए। इसलिये यह सीमा

सुरक्षा का जो सवाल है वह तो बड़ा ही कठिन है। 15 वर्ष तक हमको इस बार्डर सिक्योरिटी फोर्स की जरूरत नहीं हुई लेकिन जब यहां पुलिस की स्ट्राइक हुई तब दिल्ली में डा० राममनोहर लोहिया के घर पर मैं मौजूद था और उस वक्त बार्डर सिक्योरिटी फोर्स को पुलिस के खिलाफ काम करने के लिये दिल्ली लाया गया। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिये। ये फिर किस तरह की सीमा-सुरक्षा करेंगे या नहीं करेंगे। सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ और बर्मा के पास कुछ सीमा पर, मनीपुर वगैरह में यह स्थिति है लेकिन चार दिन पहले यह अखबार में छपा कि बार्डर सिक्योरिटी फोर्स के होते हुये भी, जब ये पैट्रोल कर रहे थे तब, खासी लोगों ने शिलांग का सारा कम्युनिकेशन काट डाला। तीन-चार लाख मुस्लिम पाकिस्तान से हिन्दुस्तान के अन्दर आ गये जब से बार्डर सिक्योरिटी फोर्स बनी है तब से और उनके आने की गति में कोई कमी नहीं आई है, इन्होंने किसी को पकड़ कर नहीं भगाया है। अभी अभी किसी ने यह कहा कि ये स्मगलिंग को बड़ा रोक रहे हैं, तीन-चार लाख रुपये का माल जब्त हुआ है। मैं मारवाड़ी बिज़नेस खानदान का लड़का हूं और मैं जानता हूं कि करोड़ों रुपयों का स्मगलिंग का व्यापार पाकिस्तान और बंगाल के बीच में चलता है और मुझे पता है कि यह क्यों होता है। बार्डर सिक्योरिटी फोर्स के लोग और पुलिस के लोग भी दोनों इसमें मिले हैं, इधर से उधर लोगों को पार करते हैं। इसमें दंड तो बहुत लिख रखा है मगर ये दंड कभी कार्यान्वित नहीं होंगे क्योंकि इस तरह के कठोर दंड की व्यवस्थायें हमने बहुत से कानूनों में देखी हैं, इंडियन पीनल कोड में भी दंड की बड़ी भारी व्यवस्था है लेकिन हिन्दुस्तान में आज, स्वराज्य काल में, जो अनाचार, चरित्रहीनता, घूसखोरी, बदमाशी और बेइमानी फैल गई है उसका कुछ कहना नहीं और उससे यह सिक्योरिटी फोर्स भी अछूती नहीं है। मैं पाकिस्तान के बगल के पूर्णिया जिले में रहता हूं, अब वह हिस्सा जो पाकिस्तान से लगता है बंगाल में चला गया है, लेकिन अब भी यह इलाका मुस्लिम प्रधान है और वहां लोग आते जाते रहते हैं और खूब व्यापार चलता है, उधर से पाट आता है और इधर से दाल और तिलहन वगैरह सब चीजें जाती हैं। मैं नहीं कहता कि यह व्यापार हिन्दुस्तान के नुकसान का है या फायदे का है लेकिन जब तस्कर व्यापार के बारे में बड़ी नैतिकता के साथ चर्चा होती है तो फिर यह कहना ही पड़ता है कि यह तो एकदम बन्द होना चाहिये और एकाध को पकड़ लेने पर ही इस सदन में शाबाशी की थपकियां नहीं देनी चाहिये। यह सब बातें हिन्दुस्तान की वास्तविकता से परे की चीजें हैं। कैनाडा और अमेरिका के बीच में कोई बार्डर सिक्योरिटी फोर्स नहीं है। पाकिस्तान और हिन्दुस्तान भाई भाई थे और उनके बीच में तो हमने बार्डर सिक्योरिटी फोर्स बैठा दिया है और चीन जो हमारा प्रथम दुश्मन है, हो गया है, जिससे हमारी स्वतंत्रता और आजादी को खतरा है उसके बीच में कोई बार्डर सिक्योरिटी फोर्स नहीं है। अब भी चीनी लोग नेफा में आते जाते हैं और वह उर्वसीयम् का इलाका हिन्दुस्तानी नागरिकों के लिये बन्द है। इस तरह से क्या इंटेग्रेशन होगा। कल श्री संजीव रेड्डी वहां भाषण दे रहे थे कि किस तरह से रूसियों ने अपने मुस्लिम पिछड़े हुये लोगों को रूसी बना डाला है और हमने इन पहाड़ी लोगों को अलग छोड़ रखा है, अविकसित छोड़ रखा है, अजायबघर की तरह, एक नमूने की तरह उस इलाके को छोड़ रखा है, न हम उनके यहां जाते हैं न उनको यहां आने दिया जाता है, न उनसे विवाह-शादी कायम की जाती है और न उनको अपना बनाने की चेष्टा की जाती है। केवल बार्डर सिक्योरिटी फोर्स के जरिये सीमा-सुरक्षा का सपना देखने वालों को अन्त में उसी तरह निराश होना पड़ेगा जिस तरह कि वह हिमालय

[श्री बाल कृष्ण गुप्त]

की ऊंची दीवाल के भरोसे सुख की नींद सो रहे थे, न हिमालय अभेद्य है और न यह बार्डर सिक्योरिटी फोर्स ही अभेद्य है। हां, मैं जरूर यह आवश्यकता समझता हूं कि सीमा-सुरक्षा सेना होनी चाहिये और इसको पूरे हथियार मिलने चाहिये लेकिन इनके हथियार भी हल्के हैं। शुरू में किसी विदेशी दुश्मन का आक्रमण होगा तो पहले इन्हीं लोगों का उनसे पाला पड़ेगा। कच्छ में ये सौ या दो सौ की तादाद में मारे भी गये। ये भी हमारे हिन्दुस्तान के अंग हैं और इनसे भी वैसा ही व्यवहार होना चाहिये जैसा कि सैनिकों से होता है।

इस एक्ट में एक जगह लिखा है कि अफसर को गाली वह दे तो उनको इस पर ही बड़ा भारी दंड मिलेगा। हिन्दुस्तान के बड़े अफसर जिस तरह से अपने मातहत छोटे लोगों से व्यवहार करते हैं उसमें गाली और गुफ्ताजनी रोज़ाना होती है, यह रोज़ाना की चीजें हैं, अगर यह न हों तो हिन्दुस्तान का गरीब तो बिल्कुल पिघल के मर जाय, उसकी आत्मा तो पहले ही हीन-भावना से मरी पड़ी है तो उस हीन-भावना को और करने के लिये ऐसे कठोर दंड की व्यवस्था की जाती है। सेना के भीतर भाईचारे और भ्रातृभाव का व्यवहार होना चाहिये, अफसर नीचे से ऊपर उठें और यह कि अफसर अलग और नीचे के सैनिक अलग एक गलत चीज़ है। अगर हिन्दुस्तान को ऊंचा उठाना है तो जिन तबकों से सिक्योरिटी फोर्स के लोग लिये जाते हैं उन्हीं तबकों और उन्हीं जातियों से उनके अफसर होने चाहिये। अंग्रेजों ने इस चीज़ को समझा था और तभी जाटों और मराठों को आगे बढ़ाया था और आज हम अपर-क्लास के पढ़े-लिखे और मध्यम वर्ग के लड़कों को तो अफसर बना कर भेजते हैं जो कि सीमा के पास नहीं रहना चाहते हैं, जो हेडक्वार्टर में या दिल्ली में शीततापनियंत्रित जगहों में बैठे रहते हैं और नीचे के लोगों से सीमा की सुरक्षा कराना चाहते हैं। यह किस तरह की विडम्बना है। हमारा भारतीय समाज बहुत ही अनुदार और संकुचित समाज है उसी तरह की यह सरकार है, उसी के अनुकूल बनी हुई यह सरकार है। देखिये आज कल की दुनिया में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। अमेरिका जैसे पूंजी-प्रधान देश में अफसर ने, जेनरल पैटन ने एक सिपाही को थप्पड़ मारा और वह कमांडर आइज़नहावर के समान पद का आदमी उससे डिसमिस हो गया और हमारे यहां सारे अफसर लोग छोटे लोगों से दुर्व्यवहार करते हों तो उनको सजा नहीं मिलती और बार्डर सिक्योरिटी के सिपाहियों को, जाटों को, गूजरों को, अहीरों को आप ऐसी सजा देने जा रहे हैं। जरा सोचिये, समझिये। मैं कहता हूं कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करना चाहिये। इसमें बड़े संशोधनों की आवश्यकता है। इसमें मानवीयता का बिल्कुल अभाव है, न हमने उनसे मानवीय व्यवहार किया है और न हम उनसे सुरक्षा की आशा रख सकते हैं।

मैं ज्यादा क्या कहूं। फोर्स बन जाती है ढाई वर्ष पहले और कानून आता है, ढाई वर्ष के बाद में और वह भी ऐसी शक्ल में जैसे कि लोहे का पंजा हो, सीकंचा हो, जिस खूनी पंजे में फंस कर के चाहे सैनिक हों या और आदमी हों उसकी आत्मा मर जायगी, उसका शरीर मर जायगा, उसका मन मर जायगा, ऐसा कानून बनाने से देश की सुरक्षा नहीं हो सकती है। देश-प्रेम को जगाने से, देश-प्रेम को उठाने से, देश के लिये जो लड़ने मरने वाले हैं उनको अच्छी सुविधायें देने से यह होगा। अभी अभी किसी ने कहा कि उनके बच्चों की शिक्षा के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। यह कैसे होगी! यह समाज तो इतनी विषमता का समाज है कि एक तरफ तो तीन आना है और दूसरी तरफ तीन लाख रुपया रोज़ाना है, एक तरफ प्रधान मंत्री

रोज़ाना अपने ऊपर 50 हजार रुपया खर्च करती हैं और दूसरी तरफ उस सैनिक को 48 रुपया महीना खाने का दिया जाता है। जब तक यह सरकार अपनी इन विषमताओं को, इन तबाहियों को नहीं रोकेगी और मानवीय भावना से नीचे के तबके को ऊपर उठाने की चेष्टा नहीं करेगी तब तक इस देश का कल्याण नहीं हो सकता है और न इसकी सीमाओं की सुरक्षा होगी और न इसकी अन्दरूनी हालतें सुधरेंगी । मैं और क्या कहूं।

4 P.M.

श्री शीलभद्र याजी (बिहार) : माननीय वाइस चेयरमैन साहब, मैं इस बार्डर सेक्योरिटी फोर्स विधेयक का स्वागत और समर्थन करता हूं और साथ ही श्री चित्त बासु ने जो यह तरमीम दी है कि इसको प्रवर समिति में जाना चाहिये और वहां इस पर विचार होना चाहिये उसका मैं सख्त विरोध करता हूं और ये जितने अमेन्डमेन्ट हैं उनका भी विरोध करता हूं।

अभी हमारे गृह मंत्री जी ने कहा कि 1965 में यह फोर्स बनी लेकिन अब क्यों आवश्यकता हुई इस विधेयक को लाने की। मुझे आश्चर्य यह होता है कि इसी सदन में और उस सदन में अभी तक बहुत से सदस्यों को मालूम नहीं है कि बार्डर पर, सरहद पर क्या क्या समस्याएं हैं और किस तरह से वह जो हमारी सीमा है वह असुरक्षित है, महफूज नहीं है, बल्कि प्रति दिन वहां लड़ाई होती है, हमारे लोग मारे जा रहे हैं । स्मगलिंग वगैरह तो बहुत कुछ होता है लेकिन आज चीनी और पाकिस्तानी के इशारे पर मीजों लोग, कुकी लोग, नागा लोग सब जगह किस तरह ट्रेनिंग पा रहे हैं, किस तरह धड़ल्ले से इस पार से उस पार आते जाते हैं क्योंकि अपनी सरकार ने सीज फायर कर दिया है नागालैंड में, मणिपुर में भी और सीज़ फायर में तो कोई एक्शन ही कोई नहीं ले सकता है। एक्शन कौन ले सकता है? बार्डर सेक्योरिटी फोर्स ले सकती है और हमारी आर्मी तो सीज फायर की हालत में ऐक्शन ले ही नहीं सकती है। इसलिये मेरी समझ में यह बहुत देर से हमारे होम मिनिस्टर साहब इस बिल को ले कर आए हैं। यद्यपि वहां पर हमारा आसाम राइफल्स है, मणिपुर राइफल्स है, और भी हमारी केन्द्र की तरफ से रिजर्व पुलिस वहां पर है वह भी जाती है, लेकिन इस फोर्स की आवश्यकता थी, इस बात को हमारी सरकार ने बहुत देर बाद महसूस किया। सबसे आश्चर्य यह है कि प्रो-पाकिस्तानी, प्रो-चाइनीज तत्व जो इस देश में हैं वही इसकी मुखालिफत करते हैं, जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका, वह समझते हैं कि यह जो विधेयक है, सीमा को सुरक्षित रखने के लिये, देश की आजादी को सुरक्षित करने के लिये, स्मगलिंग को रोकने के लिये और लोगों में यह अहसास जारी रखने के लिये कि हमारा देश सुरक्षित है, तो वह समझते हैं कि चाऊ माऊ से कुछ पैक्ट करके जैसा पंचम लामा ने किया, उसकी विरोधता प्रकट करें जो कि वह करते हैं और कर रहे हैं । कुछ पाकिस्तानी प्रो-पाकिस्तानी एलीमेन्ट भी अपने देश में हैं और हो गये हैं; खास तौर से मीजों हिल्स में, मणिपुर में, नागालैंड में। यह दोनों तरह के एलीमेन्ट हैं जो धड़ल्ले से जब चाहें पीकिंग पहुंचते हैं, जब चाहें पाकिस्तान पहुंचते हैं और हमारी सरकार को बाद में पता चलता है। हमारी यह जो केन्द्रीय रिजर्व फोर्स है क्योंकि सेना तो वहां कुछ कर ही नहीं सकती है इसलिए कि सब जगह सीज़ फायर है इसलिए वह सीमा पार कर जाते हैं धड़ल्ले के साथ। यह सब काम आसानी से हो रहा है और यही कारण है आप तो सीज फायर करते हैं लेकिन वह अपने आपको अलग सरकार बना कर कहते हैं कि हमारी पार्लियामेन्ट भी है। उनकी सेना भी परेड करती है और हमारी सेना खड़ी देखती है। ऐसी परिस्थिति है कि खासकर जो हमारा हिल का ईस्टर्न जोन है वह ज्वालामुखी

[श्री शीलभद्र याजी]

पहाड़ पर बैठा हुआ है। फिर भी जो अपने को देशभक्त कहते हैं वह कहते हैं इस बिल को लाने में देर करो, डिले करो, नहीं तो बिरोध करो। यह भावना देश के लिये बड़ी खतरनाक बात है। हर एक सदस्य का यह कर्तव्य होना चाहिये कि इस बिल को सपोर्ट करे। हम तो मान चुके हैं सरकार इस बिल को देर से लाई। हमारे एक सदस्य तिवारी जी ने भी कहा कि वह जो भावना थी कि हिमालय से हमारा देश सुरक्षित है, उसी के सिलसिले में मैं यह कहना चाहूंगा कि सब लोग जो वहां के इर्दगिर्द पहाड़ों के बाशिन्दे हैं, उनके लिये हमारी सिफारिश होगी इस सरकार के साथ, कि मणिपुर में और दूसरी जगहों में जहां जहां लोग आपके साथ हैं, उन लोगों में से आप इस फोर्स को तैयार करेंगे चूंकि वह वहां की जबान समझते हैं यदि होस्टाइल नागाज से, मीज़ोज़ से मुकाबला करना है तो उस फोर्स में ऐसे लागों की भरती हो जो वहां की भाषा जानने वाले हों क्योंकि कभी कभी भाषा न जानने की वजह से दिक्कत होती है। ठीक है, आसाम राइफल्स है, मणिपुर राइफल्स है, सब कुछ हैं, लेकिन इसके साथ यह जो हम बार्डर सेक्योरिटी फोर्स बना रहे हैं, जैसा कि हमारे माननीय सदस्य श्री बालकृष्ण गुप्त ने भी कहा, उनको पूरी सहूलियतें, पूरी सुविधाएं मिलनी चाहिये। जब हम समाजवाद की ओर जा रहे हैं तो यह विचार जरूर होना चाहिये, इसलिये उनकी सुविधाओं में कोई कमी नहीं होनी चाहिये। लेकिन इसके साथ ही कड़ाई की आवश्यकता है और हमारे होम मिनिस्टर साहब समझे तो जाते हैं कड़े आदमी हैं लेकिन कड़ाई दिखलाते नहीं। अभी नागालैन्ड, मणिपुर में जो समस्या है; यह बदकिस्मती है कि अभी तक वह एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में नहीं आया है और न उनके यहां से कोई वहां गया है। तो इस प्रकार के पोस्ट्स बनाने पर भी आप कुछ नहीं कर सकते, सुरक्षा नहीं कर सकते, ऐसी परिस्थिति है। आज इस तरह से यह सेक्योरिटी फोर्स बन कर सरहद की आप हिफाजत करना चाहते हैं। आज वहां देशविरोधी तत्वों का आवागमन, आना जाना, धड़ल्ले के साथ हो रहा है, रिश्तेदार बन कर लोगों के घरों में घुसते हैं। वह लोग खतरनाक ट्रेनिंग लेने के लिये पीकिंग जाते हैं, ढाका जाते हैं, चिटगांव जाते हैं, कोई रुकावट नहीं है, खुशी से चले जाते हैं, चले आते हैं। जो ऐसी परिस्थिति है। इसलिये नागालैन्ड, मणिपुर, नेफा, जम्मू और काश्मीर में आप यह फोर्स बनाइये। लेकिन जब हमारा संविधान कहता है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक जहां चाहे देश के अंदर बस सकता है फिर आप जम्मू और कश्मीर में फोर्स बना कर क्या करेंगे, हमारी सेक्योरिटी फोर्स की मदद कौन करेगा, जब वहां हमारे लोग बस नही सकते हैं। आज तो वहां मैदान खाली है। मैं 1966 में तीन चार-रोज जब छापामार लोग आए थे श्रीनगर में, तो वहीं था। जब छापामार लोग नगर में घुस आए तब लोगों को पता लगा। पता क्यों नहीं लगा? पता लगाने वाला कौन है, यह विचारणीय है। इसलिये यह कोशिश होनी चाहिये कि जो भारत का नागरिक जम्मू और काश्मीर में बसना चाहता है, नागालैन्ड में बसना चाहता है, तो खुशी से वहां बस सकता है। नन्दा जी कहते थे ऐसा करने से लोग क्या समझेंगे। अभी कल हमारे संजीवा रेड्डी ने भाषण दिया था। हम भी उनके साथ गये थे और सब देखकर आए हैं। इस देश में कहीं पर कोई भी चाहे वह पारसी हो, मुसलमान हो, हिन्दू हो बस सकता है। हम को शरम आती है कि किस तरह का हमारा मुल्क है। नन्दा जी से हमने कहा लोग क्या समझेंगे क्योंकि संविधान में आपने कहा भारत का नागरिक जहां चाहे बस सकता है लेकिन अभी तक नागालैन्ड में नहीं बस सकता है, मणिपुर के हिल्स में नहीं बस

सकता है, नेफा में नहीं बस सकता है। नेहरू जी का वेदवाक्य समझकर मान लिया है कि उनकी सिविलिजेशन है, कलचर है, रीति-रिवाज है। हमारी नीति का असर देश की सेक्योरिटी पर पड़ता है। जो आता है लात लगाकर चला जाता है और हमको अफसोस होता है। इसलिये यह सेक्योरिटी फोर्स विधेयक बनाने के साथ साथ होम मिनिस्टर साहब को एक विधेयक उसके बारे में भी लाना चाहिये क्योंकि जहां इस बात की दिक्कत है कि जम्मू और काश्मीर में कोई भारतीय नहीं बस सकता है, मकान नहीं बना सकता है, मकान नहीं खरीद सकता है तो यह सेक्योरिटी फोर्स बिल बनाने पर भी उसकी हिफाजत करने में दिक्कत होगी। तो यह चीज आपको करनी होगी कि देश का कोई भी आदमी चाहे तो जम्मू और काश्मीर में बस सकता है, नागालैन्ड में बस सकता है, नेफा में बस सकता है, मणिपुर हिल्स में बस सकता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपको काम-याबी नहीं होगी।

इसलिये इस विधेयक के साथ साथ मैं अपनी सरकार से यह भी मांग करूंगा कि आप एक दूसरा कानून भी लाइये। जहां तक इस बिल का सवाल है, जो लोग इसको डिले करना चाहते हैं वह जानते ही नहीं हैं कि वहां की क्या परिस्थितियां हैं, वह कभी गये ही नहीं हैं उन इलाकों में। बातें तो वह बड़ी बड़ी करते हैं। हमने उस रोज भूपेश गुप्त को भी चैलेन्ज किया था कि कभी गये हो कोहिमा? तो कभी वह गए नहीं उस तरफ डर के मारे नहीं भी जा सकते हैं, इसलिये उनको कोई इल्म नहीं है, वहां की परिस्थितियां वह जानते नहीं हैं। आप अगर इसको डिले करना चाहते हैं तो आप देश की सेक्योरिटी नहीं चाहते हैं, आप प्रो-चाइनीज या प्रो-पाकिस्तानी बन गये हैं, यह हमारा चार्ज होगा। इस पर जो इसकी मुखालिफत करेंगे उनके बारे में हम यही कहेंगे। इसलिये इस विधेयक का स्वागत करना हर एक देशभक्त का कर्त्तव्य है। जो देशभक्त लोगों में अपना नाम कटाना चाहते हैं वह देश की आज़ादी को ख़तरे में डालें, सुरक्षा को खतरे में डालें, लेकिन जो देश की आज़ादी को, सीमा को महफूज रखना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं उनको इस बिल का तहेदिल से समर्थन करना चाहिये। चित्त बासु साहब को अपने अमेन्डमेन्ट वापस लेने चाहिये और देश की सुरक्षा और सेक्योरिटी के मामले में सरकार का साथ देना चाहिये। यही देशभक्त का फर्ज होता है, कर्त्तव्य होता है। इसके साथ मैं सरकार से मांग करूंगा कि उसकी जो वीक-नीड पालिसी है, कमजोरी की नीति है कि हर एक भारतीय किसी एक खास इलाके में नहीं रह सकता उसको बदल कर एक तरमीम लानी चाहिये संविधान में और जो यह रुकावट है कि भारतीयों को उस इलाके में नहीं बसने देंगे उसको दूर करें। तभी आपका यह जो सुरक्षा फोर्स बनाने का मतलब है वह पूरा हो सकता है। जय हिंद।

SHRI K. P. SUBRAMANIA MENON (Kerala): We have been hearing in this House only panegyrics of the Bill. Now you will hear something different. There have been references to Pro-Pakistani and Pro-Chinese elements among those . who opposed the Bill. I am one of those who oppose this Bill.

AN HON. MEMBER : You are one of them.

SHRI K. P. SUBRAMANIA MENON : You have been saying that the people who are pro-Chinese or who are Pro-Pakistanis only are opposing the Bill. I am one of those persons who oppose this Bill because I do not find any necessity for this Bill. The primary responsibility of the Army is to look after the borders of the country. I ask the Home Minister, what is our Army doing? If we have to secure our borders, then have we to create another Force like this? I do not think that it is necessary at all. It is enough if you leave it to the Army to look after that job. It is also a fact that a poor country like ours cannot afford to create so many

[Shri K. P. Subramania Menon]

unproductive Forces which feed upon the meagre resources of our country. Coming to this particular Force, I have a hunch that this is not particularly meant for protecting our borders alone. In fact some of the definitions make it clear that its aims are much wider than that. For example, it says :

"'enemy' includes all armed mutineers, armed rebels, armed rioters, pirates and any person in arms against whom it is the duty of any person subject to this Act to take action."

This is a rather very wide definition. It means that this so-called Border Security Force can be called to any interior area to face any people, may be Government employees striking for higher wages, may be, as you have seen recently, the firemen on strike when the Territorial Army was used. So all sorts of misuse of this Force will be made. In another place it says :

a period of active duty with reference to any area in which any person or class of persons subject to this Act may be serving".

So it is clear that the primary objective of this Force is not just border security because for safeguarding our borders we have already the Army and it should be the duty of the Army to safeguard them.

Secondly I take objection to this Bill because there is no precise definition of the function of this Force. It is true that in the Enacting Formula it is stated that it is for ensuring the security of the borders of India and for matters connected therewith. But the functions of this Force should be clearly defined and should be limited to the defence of our borders. In this connection I would point out that it is true that in certain countries where there is already ihe Army, there is also a Border Security Force but rarely is the Border Security Force put on active borders. Now as everyone has been claiming, our border is an active border, that is, we have skirmishes, we have occasional fighting, etc. The Security Force is not generally put there. There is the regular Army which does the policing of the active borders. For example, in passive borders where there are no skirmishes, to use the Army for border patrol may not be without risk because the Army personnel may do something wrong on this or the other side and it may create unnecessary enmity between friendly neighbours. In such cases you do have such Border Security Forces which are paramilitary but which are not part of the regular Army but here that is not the case. Here it is said that it is an active border. You are supposed to be facing an Army. In that case you can have the Army looking after that job. Why unnecessarily create another Force and have a concealed Defence expenditure. We are having concealed Defence expenditure because some of us criticise here about the thousands of crores we are spending on Defence. So in order to keep down the amount, in order also to please some aid-givers, you may be trying to create a paramilitary Force which for all practical purposes is part of the defence system of this country.'

The third reason why I oppose this Bill is that already the Central Government has got in its armoury a number of Forces. We have the Industrial Security Force, we have the Railway Protection Force and we have the Central Reserve Police. All these are used for all sorts of undesirable purposes. If these are used for the defence of the country, it is all right. If they are used to stop smuggling or blackmarketing, it is all right but how can you stop smuggling? In this country which is based on the capitalist system the primary motive force of the society is profit-making. The bourgeois class will make profit whatever you may do. By trading with the enemy, by smuggling, by doing all sorts of things, by murdering people, by starving the people, by blackmarketing, etc. they will resort to profit-making. The only thing that matters for them is profit and unfortunately those who criticise us for being anti-national are the biggest protectors of this profit-motive and it is this capitalist class which is in power in this country, which does all sorts of anti-national things and the poor workers, the poor Communists, the poor Government employees are accused as being anti-national.

SHRI A. D. MANI : Some Communists are seized in Bombay...

SHRI DAHYABHAI V. PATEL : Everywhere.

SHRI K. P. SUBRAMANIA MENON : It is immaterial. The poiul is ihat as long as the primary motive force of ths

society is profit-making, you cannot stop smuggling, you cannot stop blackmarket-ing, you cannot stop trading with the enemy and you cannot stop anything. They will continue to do all these and this Government which is the protector of this right of profit will not be able to stop it whatever it may do.

Now these Central Forces are used in areas of power which should properly belong to the States. The Central Reserve Police, this Border Security Force, the Railway Protection Force, the Industrial Security Force, all these, are created to secure the iron hand of the Centre against the people of the country, against the working classes and against the toiling masses.

Well, you are seeing a lot of things. You saw what happened whcu the railway firemen struck work. There you used the Territorial Army. You will not grant them twelve hours of work. You are supposed to be a civilised country. Have you ever heard of a country where workers are asked to work for twenty to twenty-two hours in front of fire? And still we are civilised. We are the most barbarous people on earth, I should say.

SHRI CHITTA BASU : Say that the Government is barbarous; the people are not barbarous.

SHRI K. P. SUBRAMANIA MENON Yes, the Government. And when those people rise in revolt, you are sending the Territorial Army to suppress them—a shameful thing—and this is the sort of defence that you are doing in this country ; you are defending the profits of the monopolists; you are defending the profits of the smugglers. You are not defending the people of this country.

SHRI SHEEL BHADRA YAJEE : Is it the Voice of Peking?

SHRI K. P. SUBRAMANIA MENON : I come to another point. As I said in my earlier remarks, we are a poor country. Already we are spending a lot of money on the armed forces, and it should be possible for the Army to utilise the armed forces to the fullest extent possible. They should be put on the job of defending the country instead of creating other unproductive forces. And ultimately what happens? This Government cannot give proper pay and allowances even to their police. They cannot feed them properly and so the poor fellows are suffering. Like them another security forces the Border Security Force is also going to suffer. Now you create a number of discontented forces everywhere and create instability in the country and create all sorts of problems for the people, for the country and for the Government. Why do you want to do all this sort of thing? You cannot pay well even your police, give them a decent living wage, and now you create a force of this kind. Why should you want to do this? Why should you ruin the economy of this country in this manner? Why should you waste the meagre resources that we have in this country in this way? Put the Army to do the job let them be fully engaged. Give them more pay when they do more work, and do not waste money on half-fed people who are unable to defend anything, who are unable to carry on with their jobs, and because they cannot well look after their families they cannot keep up their morale. And this sort of demoralised atmosphere in this countiy, this soit of creating a lot of unproductive forces, creating a lot of unproductive jobs and paying for them from out of the public exchaquer has to be stopped. That is why I am opposed to this Bill.

One more point. I come to one or two amendments which I have given notice of. In the clause dealing with discipline, death penalty has fnely been mentiored. Well, I should think this is too much. After all, they ate not the Army. Except in cases where they commit an offence in the face of the enemy, in all othe;' cases death penalty should be deleted. Another thing; in the matter of discipline what I have found in most of the disciplined para-military forces is this that most of the ranks have absolutely no right and the officers who sit on top of them ill treat them, deny them their privileges, deny them leave, and they go scot-free. But if any of the ranks protest even mildly, then it is considered indiscipline, and they can be punished. Now such a situation is very harmful to the morale of the forces. If supposing inspite of our opposition they have the Force, then let them have it properly. The ranks should be given some sort of a protection against this sort of arbitrary oppression by the officers above. After all, we are experiencing the bane of caste in this country and in every sphere of our activi ty caste operates. It operates in the Army, in the Services and everywhere, because people fhink in terms of caste. In the police also an officer thinks that a man under him

[Shri K.P. Subramania Menon]

belongs to a lower caste and so should be oppressed and he should not have any right. Now this sort of thing should not be there. There should be reciprocal responsibility even in the armed forces and the ranks should get some more benefits.

Thank you.

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, आज मैं सब से पहले गृह मंत्री को इस बात का धन्यवाद दूं कि उन्होंने इस मौके पर सीमा सुरक्षा बल का जो बिल पेश किया है उसकी अत्यन्त आवश्यकता देश में थी। यह सही है कि इसके पहले जो प्रांतीय सरकारें थीं उनके ऊपर अपनी सीमा सुरक्षा का भार था। लेकिन तारीख 1-12-65 को जब कच्छ के ऊपर आक्रमण हुआ उस समय यह महसूस किया गया कि सीमा की सुरक्षा नितांत आवश्यक है और उस समय जांच करने के बाद शास्त्री जी इस निर्णय पर पहुंचे कि सीमा सुरक्षा बल की तरह एक कोई संस्था बनाई जाय और इस तरह से एक बिल पेश किया जाय जिस से हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा कर सकें और हम को हमेशा जो एक डर बना रहता है वह भय दूर हो जाय और एक ऐसा बल वहां पर रहे जो सीमाओं की देखभाल करता रहे। 1-12-65 को इस तरह का बिल बना। 24-7-68 को लोक सभा ने उसको बहुत बड़े बहुमत से पास किया। मैं सोचती हूं कि इतना अच्छा मत शायद ही किसी बिल को मिला है और इसको मिलना भी चाहिये।

जहां तक सीमा सुरक्षा बल की बात हैं मैं इस बात को नज़रअन्दाज नहीं कर सकती कि सीमा सुरक्षा बल हमको सशक्त बनाना पड़ेगा, बलशाली बनाना पड़ेगा और उसमें अनुशासन होना चाहिये। उसके साथ में जो हमारी सीमा की सुरक्षा करते हैं उनको किस किस चीज की आवश्यकता होगी, किस तरह के हथियार उनको देना चाहिये, यह हमको देखना पड़ेगा, ताकि वे हमारी सीमा की सुरक्षा कर सकें क्योंकि सब से पहले मुकाबिला, सब से पहले वारदात उनको ही अपने ऊपर ओढ़नी पड़ती है। जब कोई दुश्मन उनके ऊपर चढ़ाई करता है तो पहले मुकाबिला हमारे सीमा सुरक्षा बल को करना पड़ेगा। अगर उसके हथियार आधुनिक हथियार, अच्छे किस्म के हथियार नहीं हुये तो वे हाथ से रोक कर के दुश्मनों से नहीं कहेंगे कि अभी हमारी सेना आ रही है, आप रुके रहिये। इसलिये यह बहुत जरूरी है कि हम उनको शक्तिशाली बनायें, उनको आधुनिक हथियार दें, अच्छे से अच्छे हथियार दें। मैं इस बात की कायल हूं कि आप जिस किस्म के सेना को हथियार देते हैं वही उसके पहले आपको सीमा सुरक्षा बल के लिये हथियार मुहैया करना चाहिये ताकि पहली मुठभेड़ जो उनको लेनी पड़ती है उसमें वे अच्छी तरह से मुकाबिला कर सकें। अगर हमने इस तरह का सीमा सुरक्षा बल पहले बनाया होता तो चीन का जो आक्रमण हुआ था उसमें हम बहुत अच्छी तरह से सफलता पा सकते थे और आज भी इस बात की आवश्यकता है कि चीन की सीमा पर भी सीमा सुरक्षा बल को लगाया जाये।

हमारे बहुत से जो साम्यवादी सदस्यों ने इसका विरोध किया है और कहा है कि अन्दरूनी मामले में हस्तक्षेप न किया जाय, सही है कि अन्दरूनी मामले में हस्तक्षेप न किया जाय, लेकिन हम इस बात को नजरअन्दाज नहीं कर सकते कि हमें जिस तरह से सीमाओं के ऊपर अपने दुश्मनों की देखरेख की जरूरत है उससे कहीं ज्यादा हमें अपने अन्दर जो हमारे आस्तीन के सांप बैठे हैं जो अशांति पैदा करते हैं या देश की आजादी के लिये खतरा पैदा करते हैं उनका मुकाबिला करने के लिये तैयार रहना पड़ेगा। इसके लिये भी जरूरी है कि सीमा सुरक्षा बल को शक्तिशाली बनायें अगर इस तरह की हमारे देश पर कोई विपत्ति आती है या

नक्सलबाड़ी जैसा कोई केस होता है तो हम उसके लिये भी सजग रहें, सचेत रहें।

(Interruption.)

अब मैं सीमा सुरक्षा बल के लिये अपने कुछ सुझाव रखना चाहती हूं। सीमा सुरक्षा बल में जो हमारे नागरिक भर्ती होते हैं वे भी एक परिवार के होते हैं, एक सामाजिक प्राणी होते हैं, वे किसी के बेटे हैं, किसी के पति हैं, किसी के बाप हैं। वे जहां सीमाओं पर रहते हैं, उनको जिस जगह पर रहना पड़ता है वहां वे सैंकड़ों मील दूर अपने परिवार से बिछुड़ कर रहते हैं और ऐसी हालत में जब उनके लिये कोई प्रोत्साहन की बात न कह कर के उनकी हम नुक्ताचीनी करते हैं, उनको हम क्रिटिसाइज करते हैं तो स्वाभाविक है कि उनका भी दिल होता है और उससे उनको दुख पहुंचता है। जो अपने को कुरबान कर के, अपनी मां की, अपने बच्चे की, अपनी बीबी की और अपने परिवार की परवाह न कर के हमारी सीमाओं पर रक्षा करने के लिये खड़े हैं, आप उनकी नुक्ताचीनी करें, उनकी खामियां देखें, बजाय इसके कि उनकी क्या जरूरतें हैं, उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, उन्हें किस तरह से साधन मुहैया होने चाहिये, अगर हम यह नहीं देख पाते हैं तो स्वाभाविक है कि उनको रंज होता है। एक सिपाही हमेशा यह चाहता है कि हमारे देश के व्यक्ति, हमारे देश का एक एक बच्चा, चाहे हमारी पार्लियामेंट का मेम्बर हो, चाहे विधान सभा का मेम्बर हो, चाहे हमारे समाज का कोई व्यक्ति हो, जो हम काम करते हैं अगर उस काम की वह सराहना नहीं कर सकता है तो कम से कम उसको बुरा भला न कहे।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इसके साथ मैं कहना चाहूंगी कि जो सुविधाएं उनको मिली हुई हैं वे अपर्याप्त हैं। उनको हर तरह की सुविधा जिस तरह सेना को दी गई है स्वास्थ्य सम्बन्धी, वेतन सम्बन्धी, वह मिलनी चाहिये। अवकाश उनको बहुत कम मिलता है। सेना के लोग जब कहीं लड़ाई होती है या सीमा पर जब दुश्मन चढ़ाई करता है उस समय जाते हैं अन्यथा जहां उनके स्टेशन हैं वहां पर रहते हैं, वे परिवार में रह सकते हैं, लेकिन ये लोग हमेशा अपने परिवार से दूर रहते हैं। ऐसी हालत में उनकी सुविधाओं पर ध्यान न दिया जाय तो कोई अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए मैं चाहूंगी कि उनके वेतन का, उनके अवकाश का, तथा उनके स्वास्थ्य का पूरा पूरा ध्यान रखा जाय। उनके बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के लिए पूरी सुविधाएं दी जायें।

स्वास्थ्य के लिए जो डाक्टरी सुविधाएं हमारे गृह मंत्री महोदय ने दी हैं उसमें उन्होंने डाक्टरों के जो ग्रेड मुकर्रर किए हैं मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उन ग्रेड पर कोई डाक्टर वहां जाने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह की सुविधा का देना न देने के बराबर है। इसलिए मैं चाहूंगी कि जो भी सुविधाएं दी जायें वे प्रेक्टिकल हों, ऐसी न हों कि केवल कागज पर ही धरी रह जायें।

इसके साथ मैं चाहूंगी कि हमारे बोर्डर सीक्योरिटी फोर्स के जो सैनिक हैं उनको बहुत अच्छे हथियार दिए जाएं ताकि वे आत्मरक्षा के साथ साथ देश की हिफाजत कर सकें।

मैं शराबबन्दी के पक्ष में हूं, मैं बहुत साफ कह दूं लेकिन अन्धविश्वासी भी नहीं हूं। मैं चाहती हूं कि जहां जरूरत हो, जहां हमारे सिपाही बर्फीली जगहों पर रह रहे हैं, जैसे हमारे सैनिक काश्मीर में हैं, जहां बहुत ठंड पड़ती है, जहां उन्हें गर्मी पहुंचाने के लिए शराब की जरूरत है तो जैसे हम सेना को दे सकते हैं उसी तरह इन्हें भी देना चाहिये। जहां हम उनसे काम लेना चाहते हैं सेना की तरह, जहां हम उनसे हर तरह से मेहनत करानी चाहते हैं तो क्यों नहीं पूरी सुविधाएं दें जो सेना को उपलब्ध हैं ?

श्री निरंजन वर्मा : सिद्धान्त रूप से आपने स्वीकार कर लिया है कि शराबबन्दी होनी चाहिये ?

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : जी हां। मैं नहीं चाहती कि पार्लियामेंट के मेम्बर पिएं, लेकिन अगर हमारी सेना के जो सैनिक हैं या सीमा सुरक्षा दल के जो सिपाही हैं, जो दिन-भर 24 घंटे मेहनत करते हैं उनको क्षणिक आराम मिल सकता है और उसके लिए शराब की जरूरत है, जैसे सैनिकों को दी जाती है तो उसी तरह से उन्हें भी मैं देने के पक्ष में हूं।

श्री निरंजन वर्मा : अगर वहां कोई एम० पी० जाय... (*Interruption.*)

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : आप हमसे मिल लें, हम आपको समझा देंगे।

हमारे लिए होम गार्ड की भी नितान्त आवश्यकता है। वैसे होम गार्ड हैं पर वह निष्क्रिय सा हो गया है, उसको सक्रिय बनाया जाय।

सीमा सुरक्षा दल के दो साल के कार्यों के ऊपर हम दृष्टिपात करें तो मालूम होगा कि हमने इसमें सफलता प्राप्त की है। जो पाकिस्तान की सीमा पर आए दिन उपद्रव हुआ करते थे उनमें बहुत कुछ कमी हुई है, तस्करी जो है—मैं नहीं कहती कि वह बिलकुल बन्द हो गई या बिलकुल बन्द हो सकती है इस पर भी मैं विश्वास नहीं करती —उसे रोकने में बहुत कुछ सफलता मिली है। अगर हमा देश का नैतिक बल, हमारे सदस्यों का नैतिक बल, हमारे समाज का नैतिक बल उनको मिलता रहे तो मुझे कोई शंका नहीं है कि इसमें और ज्यादा सफलता मिल सकती है।

रेडियो और संचार की व्यवस्था भी पूरी होनी चाहिए। उसके लिए मैं चाहूंगी कि जो इतनी-इतनी दूर पर, सैकड़ों-हजारों मील की दूरी पर सीमा सुरक्षा बल के लोग रहते हैं उनका अपने कर्मचारियों, अपने आफिस से बातचीत का जो जरिया है संचार के द्वारा उसकी सुविधा दी जाय। यहां उनकी अपनी फैक्टरी है जिसमें वह मशीन आदि तयार करते हैं। इसके लिए जितनी विदेशी मुद्रा आवश्यक हो वह भी देनी चाहिये। तो आशा है आप उसमें उदारता बरतेंगे।

एक गुप्त विभाग भी इसका अलग से हो ताकि कहां क्या हो रहा है, किस तरह के काम दुश्मन कर रहा है और जो लोग हमारे देश के अन्दर उपद्रव पैदा करना चाहते हैं उसकी जानकारी उनको समय पर हो सके और वे वहां समय पर पहुंच सकें। इस तरह की सुविधा उनको देनी चाहिये।

जो दंड का विधान रखा है मैं उससे सहमत हूं। दंड एक सिपाही में अनुशासन पैदा करता है। अगर आपने सेना के सारे दंड-विधान को रखा है तो मैं चाहूंगी कि सेना को जो सहूलियतें हैं, सेना को जो सुविधाएं हैं वह सीमा सुरक्षा दल को उसी तरह से देनी चाहिए।

हमारे माननीय सदस्य श्री चित्त बासु ने इसे प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव किया है। मैं उनसे कहूंगी, चित्त बासु जी से कि वे देख लें कि उन्होंने किस तरह की प्रवर समिति बनाई है, उस प्रवर समिति का क्या मतलब हो सकता है। आशा है वे अपने प्रस्ताव को वापस ले लेंगे।

इसके साथ जो संशोधन आए हैं मैं उनका विरोध करती हूं और प्रवर समिति में भेजने का भी। मैं माननीय मंत्री जी को दुबारा बधाई एवं धन्यवाद देती हूं और इस विधेयक का हृदय से स्वागत करती हूं।

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal) : Mr. Vice-Chairman, it appears that Mr. Chavan has got strong feminine support for this highly aggressive measure.

SHRI Y. B. CHAVAN : Are you jealous of it?

SHRI BHUPESH GUPTA : Here we have got now a comprehensive piece

of legislation and we are called upon to pass it. Now let us examine the underlying principles.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI D. THEN-GARI) in the Chair]

The preamble of the Bill says that it is meant to provide for the constitution and regulation of an Armed Force of the Union for ensuring the security of the borders of India and for matters connected therewith. We do not know how exactly this latter part of the preamble is going to be interpreted and understood, namely, matters connected therewith but it is quite clear that a new position—the Force is already there which has arisen out of the Central Reserve Force—a statutory constitutional position with what they call certain self-regulating rules and regulations is to be given to that Force which again puts a lot of power in the hands of the Central Government.

The very first thing we would like to ask ourselves is this : do we require a Force of this kind for the protection of our borders? Mr. Vice-Chairman, no one will dispute that the borders of our country have got to be protected against encroachments, aggression or similar other hostile activities from the other side of the border. No one will dispute that the borders have also to be protected by combating smuggling and other illegal activities that may take place there. There is no controversy on this point but the question is how it should be done and which Forces should be in the field in a given situation. Clearly if it is a warlike situation we have to rely on the regular Armed Forces, namely, the Army or, may be, the Air Force of our country, to protect our borders and the territorial integrity of our nation. It is equally clear that there then comes into the picture not the Home Ministry but the Defence Ministry; in fact, the entire defence potential of the country comes into the picture. There are other encroachments like intrusions and so on which have also to be protected against. To some extent when we have a large border perhaps an arrangement of this kind—I am advisedly using the word 'arrangement' is necessary but then the question is, can we not leave it in the hands of the Armed Forces? Can we not give the Armed Forces this assignment also and ask them to look after the borders also? Because generally we are living in peace time and our Armed Forces are not at all combat-ready or in a state of mobilisation as if they are ready to go to a regular war. We have vast Armed Forces and in fact I believe we cannot often find enough job for them. Therefore we have plenty and to spare from that source in order to protect our borders, and certainly we can ask the Armed Forces to set apart a particular segment of that organisation and leave the protection of the border against hostile activities in which arms and other things may be involved by way of intrusions, transgressions, etc. to the Armed Forces. Now, you may say this is not adequate but it has been found adequate all these years. It was found adequate even after the 1948 incidents in Kashmir and in the middle of the fifties also when many incidents used to take place in the eastern borders of our country. When it came to regular war whether it was in 1962 or in 1965, we found that no other Force was adequate to meet the situation except the regular Armed Forces.

SHRI JOACHIM ALVA (Nominated) : There was a lacuna on the border as a result of the war and that is being filled up now.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL : There was the Quisling of Mr. Krishna Menon.

SHRI JOACHIM ALVA : Don't bring in Krishna Menon here.

SHRI BHUPESH GUPTA : The lacuna cannot be filled up that way. If you think that in the Armed Forces you have a lacuna, you will have the lacuna also in the Border Force. We have seen how the border forces, because of lack of intelligence and other things, were overwhelmed in Kutch some two or three years ago. We have had all this experience. Yet our border forces fought well in Kutch and other areas. Therefore, that question arises. I say this in all seriousness, because the Government must make up its mind as to how it wants to run the country. Does it want to run the country more and more with the posture of a quasimilitary entity or does it want to run the country more and more in terms of democratic principles and so on ? This is the basic question. This is, of course, subject to the paramount requirements of the territorial integrity of our nation. Nobody will deny it, but this question has got to be answered. Well, my fear is this that the Home Ministry is cultivating the mentality of the Defence Ministry, i.e, they are entering a realm where they should not enter, viz., the defence of the

[Shri Bhupesh Gupta]

country. The Home Ministry should be concerned entirely with the home affairs and the internal security of the country, whatever it is. Since it touches certain external relations and external circumstances outside the domestic sphere of the country—that way, well, we have to deal with another country it should be left in other hands, namely, the Ministry of Defence. It should be the task of the defence arrangements of our country to look after that aspect of the problem.

Now, the question arises, what about the smaller things, smuggling and so on? Well, I can tell you that Pakistan has created a force akin to it, a kind of border force or whatever you call it. Now, I must say that what has happened in East Pakistan is going to happen in our country. A lot of smuggling is taking place and smuggling often takes two sides. Particularly people on this side and there are many people on the other side who indulge in smuggling and it is going on despite the fact that you have got the Central Reserve Force functioning in that border and constituting itself, for all practical purposes, into a border force. You have smuggling increasing across the border. That nobody will deny. So, that has also to be borne in mind. Now, therefore, let us see what we should do. I would recommend the acceptance of the proposal of Mr. Ghitta Basu for reference of this Bill to a Select Committee. Now, why do I say so? First of all, the Bill has 14a clauses, a formidable piece of legislation. It is not a small measure and the Home Minister is quite confident. I wish I Could share his confidence. He possesses it in abundance. He thinks that his officials have done all that is needed. I am sure Mr. Chavan did not have the time to go through and draft a measure of this Tcind. It is not expected of him. I am not blaming him, but the Minister should realise that when a measure of this kind comes up for enactment by Parliament, it is necessary sometimes to summon the collective wisdom of Parliament and see how it functions in the context. We find our Home Minister brushing it aside. As far as your side is concerned, I do not know what will bs available, but I have my doubts about wisdom. Now, it is not a question of this side or that side. The Select Committee would be constituted of Members of both Houses, which would, again, be dominated by Congress Members, numerically speaking, if not intellectually speaking. Obviously you can consider it. You have always the advantage of getting a thing passed, should it come to that, by the rule of thumb. I know the Home Minister would not draw upon the collective wisdom and experience of Members of both Houses and try this measure in a Joint Select Committee. ..

SHRI MAN SINGH VARMA (Uttar Pradesh) : It cannot be a Joint Select Committee. It can be a Select Committee.

SHRI BHUPESH GUPTA : Why it can be a Joint Select Committee. We can have a joint one. Therefore, I would ask Mr. Chavan to refer it to a Joint Select Committee or a Select Committee, despite the deficiencies we suffer from on account of my friend, Mr. Yajee. A good proposal was made in that House and we are also making the proposal. The Home Minister can accept it. If you go through this Bill you will find that it is very loosely drafted and the persons who have conceived of it or drafted it are guided by the mentality of a policemen, mentality of a drill sergeant, rather than a person who should see that the security of our country is not divorced from other larger considerations. We would not like this drill sergeant's method to be imposed on us in the matter of having an enactment so hurriedly, in a matter of hours. That is why I complain against Mr. Chavan on this score and I am sure he will at least in his heart of hearts understand the substance of my point, even if for extraneous reasons he may not admit what is dictated to him by his own conscience.

Now, it is supposed to be a Bill which is meant to be concerned with the border only. Clause 7 says :—

> "Every member of the Force shall be liable to serve in any part of India as well as outside India".

Well, Mr. Chavan, according to this definition, you can bring your border force even to the gates of Parliament to protect the borders of democracy here. Nothing can prevent you. You can take this Force to Andhra Pradesh to look after Mr. Brahmananda Reddy. You had brought these Border Forces into the street of Calcutta when you wanted to dismiss the Ghosh Ministry. The borders of India certainly do not lie along Chowringhee . ..

SHRI DAHYABHAI V. PATEL : Only in gheraos

SHRI BHUPESH GUPTA : "Gheraos" may be different. Now, here he is right. I like my friend, Mr. Dahyabhai Patel, because he has inherited one good quality from his ancestors—brutal frankness. (Interruption). What our friends do not say, he divulges. This is meant for it, not merely for the border. It is meant to suppress the working class movement also and it was done in Durgapur...,

SHRI C. D. PANDE (Uttar Pradesh) : Not working-class movement, but subversive activities.

SHRI BHUPESH GUPTA : It is meant to suppress it. At Durgapur the Border Force was brought in. (Interruptions.) Now, Mr. Vice jChairman, you are a knowledgeable man. Would you say that the borders of India lie in the Durgapur Steel Plant or around it? This Border Force had been utilised in Calcutta in November last year when the Government wanted to back up the installation of a puppet Ministry. Borders are not to be found there in the streets of Calcutta or in the municipal areas of Calcutta and yet the Forces were there. I can give very many examples. Therefore, the pedigree of this measure is such that it puts us on guard. The manner in which the Central Reserve Force or the Border Force has been used also gives us danger signals. Extremely dangerous signals we get from this. Here it is provided for and I say this is going to happen. This is one principle.

The second principle is if you have the army, the army cannot be called out as you like. The army can be employed according to certain provisions of the Constitution and according to the law of the land. For example, if there is a war or something like that, the Central Government and the President give order to the army to act in a situation of this kind. Tiny Ministers cannot do such a thing. It has to be an action of the Government expressed through the President of India. If the army is to be called out for assisting the civil authorities, you have to rely on the Criminal Procedure Code which says that a certain procedure has to be gone through before you can call out the Armed Forces in aid of the civil authority.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL Do they do that in the Soviet Union?

SHRI BHUPESH GUPTA : He asks me if they do it in the Soviet Union. The Soviets do not need this kind of border police to defend their border. Mr. Dahyabhai Patel some day should stop going to Taiwan and visit the Soviet Union, and he will see how they defend their border.

Mr. Vice-Chairman, the point is the army has to be called in a particular way. The Border Security Force or the Central Reserve Force can be called like the ordinary police force by the Chief Minister or by the Governor or by the Central Government authorities, if they like. Why should I give such powers to the Central Government in the name of protecting my border? I could have understood i; if the functions of this Force had been defined properly, but you will find in the 142 clause Bill hardly the functions of the Border Security Force have been clearly defined at all. In fact they have hot been defined at all. Therefore, Mr. Vice-Chairman, we are concerned about this. The Central Government are assuming more and more powers, police powers, in their hands. The Central Reserve Force, the Border Security Force, the Railway Protection Force, the Central Industrial Secuirty Force—I do not know what other force they are going to create. In a matter of twenty years they have created a whole number of forces under the aegis of the Central Government, at the command of the Central Government, of the Home Ministry. We would not like the Home Ministry of the country—today they may be there; tomorrow they may be there; the day after somebody else may be there; I am not concerned with who is in control of the Government—but certainly I should not like the Home Ministry or the executive to be vested with such powers which are exercisable in t he domain of a State not only with a view to protecting the border but also for interfering with the internal and autonomous affairs of the State and certainly for suppressing the mass democratic movement.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI D. THENGARI) : Please wind up.

SHRI BHUPESH GUPTA : Because I am a little late in speaking, please do not think that I have nothing to say.

Another point I should like to say. It is not an army, armed force, yet it is an army. Army for what purposes? Not for the purposes which are advantageous to the men of the regular Armed Forces. It is an army for the purposes of suppression of the rights, suppression of

[Shri Bhupesh Gupta]

the interests of the people. It has been provided that they will have no trade union rights whatsoever, whereas the police force are still having some limited right of association in the nature of trade union association. I should like to know why it is being done. It is not an army, yet the army regulations are imposed upon them in order to keep them under the jackboots of the executive. This is what I am opposed to. Why are these people not being given the same measure of right as is available to policemen who can form certain associations and so on to ventilate some of their grievances, etc. ? I cannot understand it. You see the posture in ihe punishment that is provided for. Death penalty. We thought we are living in a parliamentary democracy. Death penalty should not be provided for so frivolously and easily as has been done in this particular case. I can understand the capital punishment, the extreme penalty, being provided for in times of war or in Certain situations, but a force which is supposed to be technically speaking a civil force under the Home Ministry is not a military force under the Defence Ministry. Why should this kind of provision be made ? Therefore, I say all these things should have been gone into and still I say should be gone into in a Select Committee in a proper manner.

I should like to address a word or two to Mr. Chavan—these are also meant for him, what I have spoken. Does he still think that he is the Home Minister as if ten years ago ? He is not the Home Minister like when Shri Govind Ballabh Pant or Shri Kailash Nath Katju was the Home Minister of the country. He is the Home Minister in a changed political situation where a number of State Governments are not in his hands. In other States there are not even constitutional Governments there so to say, elected Governments if I may say so. They are under Governors' rule. In fact, in a large number of areas the normal processes of our Constitution either function against him or have been frozen for some reason or other. Is it proper for the Home Minister of the country to behave like Ayub Khan in such a matter and talk as if he is protecting the border and others are not interested, and propose a measure of this kind? I am reminded of Ayub Khan's basic democracy. In the name of basic democracy all kinds of things have been imposed on the people of Pakistan. In the name of border security Mr. Chavan is acquiring for himself and for his Government—I am not blaming him personally—more and more power, and it is tragic that Mr. Chavan should be a party to this kind of calculated usurpation of executive, administrative and police power in so changed a political situation.

Mr. Vice-Chairman, with these words I would like to conclude, but before I sit, I must tell you again and again, tell Members of this House, we have known the breach of faith in the matter of the Central Reserve Force, we have known the breach of faith in the matter of even the Border Police Force, which arose when these Forces had been used against the legitimate movements of the people, to suppress them. I may warn you again that there will be chances of clashes between the State Police and these Forces; you must reckon with it. In Calcutta and other places and in Assam we have seen the signs of clashes between the local police on the one hand and the Central police forces and the Reserve Police including the Border Security Force on the other. Why are you complicating the situation? I think Mr. Chavan has been ill-advised in this matter. Still at this later hour I would request him to accept with necessary changes in names the proposal for reference of this Bill to a Joint Select Committee. As it is, the Bill is a provocative one, it is preposterous, it is a declaration of lack of faith by the Government in the Armed Forces and the people who live in the border. It is an attempt in the guise of protecting the border to assume more and more arbitrary, dictatorial and police powers in the hands of the Central Government to which all men in their senses including those in the Congress Party should be thoroughly and totally opposed. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI D. THENGARI) : Mrs. Talwar.

DR.(MRS.) MANGLADEVI TALWAR (Rajasthan) : Mr. Vice-Chairman . . .

SOME HON. MEMBERS : Let us rise for the day.

THE VICE-CHAIRMAN : You may continue tomorrow. The House stands adjourned till 11 A.M. tomorrow.

The House then adjourned at five of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 31st July, 1968.

GIPN—S7—15 R. S./68—18-1-69—570